वित्तीय स्वीकृति

संख्या-5/2021/054/18-2-2021-30(2)/2018

प्रेषक

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु बजट में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2984/औ0आ0-11/उच्चीकरण/अव0सुविधा/बजट/2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 700.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 502.45 लाख में से निम्नांकित विवरणानुसार तालिका के कालम-4 में अंकित लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये कालम-3 में अंकित कार्यों हेतु रू0 352.44 लाख (रूपये तीन करोड़ बावन लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा उल्लिखित कार्यो पर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 स0	औ0आ0 का नाम	कार्य का विवरण	अनुमोदित लागत (लाख रू0 में)	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	औ0आ0 शर्फद्दीनपुर, आजमगढ़	नाली की मरम्मत, नया नाला व पुलिया निर्माण कार्य	17.23	यू0पी0एस0 आई0सी0	17.23
2	औ0आ0 सुखपाल नगर, प्रतापगढ़	सड़क एवं नाली मरम्मत, व नाला निर्माण का कार्य	65.25	यू0पी0एस0 आई0सी0	32.63
3	मिनी औ0आ0, फतेहपुर ककरडिला, अम्बेडकर नगर	250 के0वी0ए0 विद्युत फीडर की स्थापना	13.12	अधी0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर	13.12
4	मिनी औ0आ0 तेंदुआईकला, अम्बेडकर नगर	सी0सी0, नाली, बाउण्ड्रीवाल, इण्टरलाकिंग सी0सी0 पेवर ब्लाक से सोलिंग कार्य	84.40	यू0पी0एस0 आई0सी0	42.20
5	मिनी औ0आ0, कन्नूपुर, अम्बेडकर	सी0सी0, नाली, बाउण्ड्रीवाल, इण्टरलाकिंग	74.74	यू0पी0एस0 आई0सी0	37.37

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नगर	सी0सी0 पेवर ब्लाक से सोलिंग कार्य			
6	मिनी औ0आ0, फतेहपुर ककरडिला, अम्बेडकर नगर	सी0सी0, ईंट खड़ंजा व नाली निर्माण कार्य	93.16	यू0पी0एस0 आई0सी0	38.63
7	मिनी औ0आ0 नेवादा, कौशाम्बी	नाली, इण्टरलाकिंग, पार्क सौन्दर्यीकरण, सबमर्सिबल पम्प, सोलर लाइट कार्य	66.06	यू0पी0एस0 आई0सी0	33.03
8	औ0आ0 परसरा भरवारी, कौशाम्बी	नाली, इण्टरलाकिंग, पार्क सौन्दर्यीकरण, सबमर्सिबल पम्प, सोलर लाइट कार्य	78.73	यू0पी0एस0 आई0सी0	39.36
9	मिनी औ0आ0 जलेसर, एटा	सी0सी0 व इण्टरलाकिंग कार्य	20.38	यू0पी0एस0 आई0सी0	20.38
10	मिनी औ0आ0 मनकापुर, गोण्डा	आंतरिक मार्ग व नाली निर्माण कार्य	58.22	यू0पी0एस0 आई0सी0	29.11
11	मिनी औ0आ0 मीरगंज, बरेली	बाउण्ड्रीवाल व सड़क निर्माण कार्य	47.18	यू0पी0एस0 आई0सी0	23.59
12	मिनी औद्योगिक आस्थान, विधूना, औरैया	बाह्य विद्युतीकरण कार्य	11.00	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, दिबियापुर	11.00
13	मिनी औद्योगिक आस्थान, अछल्दा, औरैया	बाह्य विद्युतीकरण कार्य	14.79	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, दिबियापुर	14.79
कुल योग: रूपये तीन करोड़ बावन लाख चवालीस हजार मात्र					352.44

2- उपर्युक्त निर्माण कार्य को अनुमोदित लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा, यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे निर्माण एजेन्सी द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य के ब्योरेवार नक्शे और अनुमान तैयार करके विस्तृत आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त समस्त आगणनों की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण कार्य समयबद्धता से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

3- कार्य की लागत के संबंध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित दरें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों शिड्यूल आफ रेट्स के अनुरूप हैं।

4- उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मानक मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में अन्य मदों में उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

6- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायेगा। कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन जिला स्तरीय तकनीकी समिति से संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा कराया जायेगा एवं आयुक्त एवं निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 या डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

10- उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी जारी शासनादेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 तथा 17 जून, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक ''4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-06-औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-187/दस-2021, दिनांक 10 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2021/054(1)/18-2-2021- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं साख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित जनपदीय उपायुक्त उद्योग।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in